**बिहार सरकार**
**ऊर्जा विभाग**

पत्रांक–प्र0 / BSP(H)CL–02 / 2023– / पटना, दिनांक–

सेवा में,

**महालेखाकार (लेखा एवं हक),**
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **''मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना'' के दूसरे चरण (फेज–2) में इच्छुक किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत पटवन हेतु निःशुल्क कृषि विद्युत संबंध प्रदान करने के साथ–साथ आवश्यक विद्युत संरचना के निर्माण हेतु 2190.75 करोड़ (दो हजार एक सौ नब्बे करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 37.50 करोड़ (सैंतीस करोड़ पचास लाख) रूपये एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 37.50 करोड़ (सैंतीस करोड़ पचास लाख) रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या–4367 दिनांक–09.11.2023 द्वारा ''मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना'' के दूसरे चरण (फेज–2) में इच्छुक किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत पटवन हेतु निःशुल्क कृषि विद्युत संबंध प्रदान करने के साथ–साथ आवश्यक विद्युत संरचना के निर्माण हेतु 2190.75 करोड़ रूपये का नयी योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 100.00 करोड़ रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 95.00 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राज्यादेश द्वारा अबतक नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 734.9183 करोड़ रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 612.6421644 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया गया है। पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा 37.50 करोड़ रूपये एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 37.50 करोड़ रूपये की मांग की गई है, जिसे उपलब्ध कराया जाना है।

2. उल्लेखनीय है कि इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि 127.4140 करोड़ रूपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या–1436 दिनांक–16.03.2026 एवं विभागीय आवंटनादेश संख्या–24 दिनांक–16.03.2026 निर्गत किया गया था। लेकिन वित्त विभाग की सहमति प्राप्त नहीं होने के कारण विभागीय पत्रांक–2165 दिनांक–30.04.2026 के द्वारा संबंधित राज्यादेश एवं आवंटनादेश निरस्त कर दिया गया।

3. उक्त आलोक में ''मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना'' के दूसरे चरण (फेज–2) में इच्छुक किसानों को चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत पटवन हेतु निःशुल्क कृषि विद्युत संबंध प्रदान करने के साथ–साथ आवश्यक विद्युत संरचना के निर्माण हेतु 2190.75 करोड़ (दो हजार

एक सौ नब्बे करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को 37.50 करोड़ (इकतालीस करोड़ पच्चीस लाख) रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि मांग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–05–संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0115–हर खेत तक सिंचाई का पानी–सात निश्चय–2, विपत्र कोड–10–4801051900115 विषय शीर्ष–54.01–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0047–साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200047 में जमा की जाएगी तथा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0048–नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200048 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200048 में जमा की जाएगी।

6. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए CFMS खाता संख्या क्रमशः PTSPLA017 एवं PTSPLA018 से की जाएगी।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0 / BSP(H)CL–02 / 2023 के पृष्ठ संख्या–18 / टि0 पर दिनांक–03.11.2023 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0 / BSP(H)CL–02 / 2023 के पृष्ठ संख्या–142 / टि0 पर दिनांक–06.07.2026 को प्राप्त है।

10. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

**(सुधा गुप्ता)**
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र0 / BSP(H)CL–02 / 2023–                    / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
**सरकार के संयुक्त सचिव।**

ज्ञापांक–प्र0 / BSP(H)CL–02 / 2023– 4073          / पटना, दिनांक– 24.07.2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा / अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग(तीन प्रतियों में), पटना / अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 / प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 / प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 एवं आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.07.26
**सरकार के संयुक्त सचिव।**